न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 51/2018

आरसीएमएस नं. 2018/00258

ज्ञानाराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

---अपीलार्थी

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

--- रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम सपठित नियम 23 राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर पीलीबंगा दिनांक 22.01.2018, प्र. सं. 103/2017

श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय दिनांक 17.06.2022

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना-पत्र पेश कर कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के एक प्रार्थना-पत्र पेश किया कि ग्राम बड़ोपल बिरानी के खसरा नं. 1236 रकबा 7.590 है0 भूमि वर्तमान में ज्ञानाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2050 में उक्त रकबा आराजी राज घग्घर के नाम दर्ज है। न्यायालय जोधपुर एसबी रिट नं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में भी प्रतिबन्धित है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के की धारा 16 के प्रावधान के विपरीत है इसलिए अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रश्नगत भूमि के आवंटन आदेश को रद्द किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:07:17 IST
Reason: SelfAttested

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत रकबा टीसी पर आवंटन की जाती रही है और दिनांक 24.07.2000 को पुख्ता आवंटन की गई है तथा समस्त किश्तें खजानाराज में जमा कराने के उपरान्त अपीलाण्ट के नाम से पुख्ता आवंटी दर्ज है। रकबा अपीलाण्ट के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुका है। अपीलाण्ट सद्भावी काश्तकार है कृषि भूमि का पुराना टीसी हॉल्डर था तथा टीसी से अपीलाण्ट को कीमत पुख्ता आवंटन की गई है। अपीलाण्ट सद्भावी कृषक एवं टीसी धारक है जो आवंटन का पात्र था। यह भूमि घग्घर बहाव क्षेत्र से काफी दूर है। अधीनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नही था ज्ञान होते ही अपील बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद हैं अपील में हुई देरी को क्षमा किया जावे और अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने क्थनों के समर्थन में आरआरटी 2002 (2) पेज 754 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्गनत रकबा सम्वत 2050 की जमाबंदी में घग्घर के नाम दर्ज है। आवंटन अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के आवंटन आदेश जारी किया था वर्णित रकबा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस0बी0 रिट नं0 1538/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में भी प्रतिबंधित हैं। उक्त वर्णित भूमि जो घग्घर के जल भराव है जो राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित भूमि है। आवंटन नियम विरूद्ध होने के कारण खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र सशपथ होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:07:17 IST
Reason: SelfAttested

7. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के प्रार्थना-पत्र पर रेस्पोडेण्ट के आवंटित ग्राम बड़ोपल के खसरा नं0 1236 को 7.590 है0 का आवंटन रद्द किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रश्नत रकबा सम्वत 2050 जमाबन्दी में पृवीराज व घग्धर के नाम दर्ज है। रकबा आराजी राज व घग्घर के नाम दर्ज होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस. बी. रिट संख्या 1536//03 अब्दुल रहनमान बनाम स्टेट से भी प्रतिबंधित है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के की धारा 16 के प्रावधान के विपरीत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरौक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.6.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/6/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:07:17 IST
Reason: SelfAttested